

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2740735 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(310/90)लिंक न.2394/अलेसे-III/839

दिनांक :- 22-12-16

आदेश संख्या132...../2016-17

श्री मोहम्मद सलीम निलम्बित कनिष्ठ लेखाकार तत्कालीन कार्यालय पंचायत समिति, केशोरायपाटन, (बूंदी) को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अपराध संख्या 286/2009 में प्रकरण पंजीबद्ध होने एवं विभाग के सम संख्यक पत्र क्रमांक 3041 दिनांक 10.05.2013 द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी करने के कारण श्री मोहम्मद सलीम को विभागीय आदेश क्रमांक 3051 दिनांक 10.05.2013 द्वारा निलम्बित किया गया। निलम्बन से बहाली हेतु आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 30.11.2016 में श्री मोहम्मद सलीम कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किये जाने के निर्णयानुसार श्री मोहम्मद सलीम, कनिष्ठ लेखाकार को तुरन्त प्रभाव से निलम्बन से बहाल करते हुए पदस्थापन कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, कोटा में करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे अग्रिम आदेशों तक उक्त कार्यालय में कनिष्ठ लेखाकार का कार्य सम्पादित करेंगे।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय निर्णय के अध्याधीन किया जावेगा।

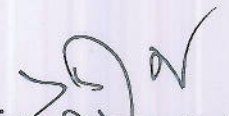

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.4(ई)(310/90)लिंक न.2394/अलेसे-III/839

दिनांक :- 22-12-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग सचिवालय, जयपुर को पत्र क्रमांक प. 2 (3) वित्त/ राजस्व/2014 दिनांक 13.12.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, को प्रेषित कर लेख है कि श्री मोहम्मद सलीम कनिष्ठ लेखाकार से बहाली हेतु आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 30.11.2016 में लिए गए निर्णयानुसार नोन पब्लिक डिलिंग पद पर कार्य लिया जाना सुनिश्चित करें।
5. कोषाधिकारी कोटा।
6. कोषाधिकारी बांरा।
7. श्री मोहम्मद सलीम, कनिष्ठ लेखाकार कोषाधिकारी, बांरा।
8. संयुक्त निदेशक (विधि एवं जांच) कार्यालय हाजा।
9. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।
10. कम्प्यूटर शाखा को वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
11. पदस्थापन/गोपनीय शाखा/डीपीसी शाखा।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)